जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 05.04.2024**

एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना आदर्शमण्डी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में लूट की झूठी सूचना देने की घटना का अल्प अवधि में अनावरण कर 03 अभियुक्त/तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से प्रतिबंधित 01 जीवित दो मुहा साँप रेड सैंड बोआ प्रजाति (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 30-35 लाख रुपये) बरामद।

दिनांक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए गये अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना आदर्शमण्डी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 20 लाख रुपये लूट की झूठी सूचना देने की घटना का अल्प अवधि में अनावरण कर 03 अभियुक्त/तस्करों को प्रतिबंधित जीवित 01 दो मुहा साँप (रेड सैंड बोआ प्रजाति) अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 30-35 लाख रुपये सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों के अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 04.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक आदर्श मण्डी को **1.**सोनू पुत्र सीताराम निवासी ग्राम कोलाखेडी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर 2.मंगत कुमार पुत्र चमनलाल निवासी छोटाबांस बगाना चौक रादोर जनपद यमुनानगर हरियाणा द्वारा सूचना दी गयी कि अंकित उर्फ भूरा पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली हमें प्लॉट दिखाने के लिये बनत तहसील के पीछे कालोनी मे लेकर आया था और उसने हमे एक खाली प्लॉट पर ले जाकर बताया कि मैं अभी प्लॉट के मालिक को बुलाकर लाता हूँ और अंकित उर्फ भूरा हमसे हमारा बैग जिसमे 20 लाख रुपये रखे थे लेकर चला गया और वापस नही आया।

इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक आदर्श मण्डी व एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अंकित उर्फ भूरा उपरोक्त को सहजयोग आश्रम रजवाहा पटरी पर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली से पकड़ लिया, जिसके कब्जे से एक बैग से प्रतिबंधित 01 दो मुहा साँप (रेड सैंड बोआ प्रजाति) जीवित बरामद हुआ। बरामद दो मुहा साँप के बारे में जानकारी की गयी तो मंगत व सोनू उपरोक्त ने बताया कि हमने यह दो मुहा साँप कच्चीगढी के रहने वाले इरफान नाम के व्यक्ति से लिये थे, जिसे हम दोनो लाभ लेने के लिये अंकित उर्फ भूरा को बेच रहे थे। अंकित उर्फ भूरा द्वारा बताया गया कि मैं यह दो मुहा साँप हरिओम निवासी ग्राम अन्छाड थाना दोघट जनपद बागपत व उज्जवल उर्फ रफ्तार निवासी ग्राम लिलौन खेडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को बेचने के लिये जा रहा था कि तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। सोनू व मंगत से रुपयो के बारे में जानकारी की गयी तो बताया कि अंकित हमारा दो मुहा साँप वाला बैग लेकर चला गया था इसीलिये हमने पुलिस को लूट की झूठी सूचना दे दी ताकि पुलिस जल्दी अंकित को पकड़ सके।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.सोनू पुत्र सीताराम निवासी ग्राम कोलाखेडी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
2.मंगत पुत्र चमनलाल निवासी छोटाबांस निकट बगाना चौक थाना रादोर जनपद यमुनानगर हरियाणा।
3.अंकित उर्फ भूरा पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1-दो मुहा साँप 01 रेड सैंड बोआ प्रजाति (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 30-35 लाख रुपये)।

2-एक अदद मो0सा0 एचएफ डीलक्स रजि0नं0 UP11CE5066

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्तः-

1-मु0अ0सं0 56/2024 धारा 2/9/39/48ए/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
2.निरीक्षक श्री संजीव कुमार प्रभारी एसओजी टीम जनपद शामली।
3.उ0नि0 श्री फतेह सिंह प्रभारी सर्विलांस सैल जनपद शामली।
4.उ0नि0 श्री राहुल सिसोदिया एसओजी टीम जनपद शामली।
5.उ0नि0 श्री कुलदीप सिह एसओजी टीम जनपद शामली।
6.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
7.है0का0 मोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।
8.है0का0 ललित शर्मा टीम एसओजी टीम जनपद शामली।
9.है0का0 प्रदीप एसओजी टीम जनपद शामली।
10.है0का0 विनीत कुमार थाना आदर्श मण्डी शामली।
11.है0का0 सतीश कुमार थाना आदर्श मण्डी शामली।
12.का0 मोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।
13.का0 मनीष कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।
14.का0 सुशील बुटार सर्विलांस सैल जनपद शामली।
15.का0 रोहित एसओजी टीम जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म व छेड़छाड़ के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 05.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं/बालिकाओं के साथ हो रहे अपराध एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म,छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 31.03.2024 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत दुष्कर्म व छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पीडिता द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध थाना थानाभवन पर तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.समीर उर्फ कामिल पुत्र अन्सार निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.का0 पिन्टू कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्टी हसनपुर के जंगल में हुई युवक की हत्या की घटना में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामदः-</u>

ज्ञात हो दिनांक 10.10.2023 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्टी हसनपुर के जंगल में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। सूचना पर तत्काल शामली पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया एवं परिजनों व मौजूद लोगों से जानकारी कर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त अभियुक्त रोहित, अमित, अक्षय को दिनाँक 18.10.2023 को व अभियुक्त अंकित, आदेश, अनिकेत को दिनाँक 21.10.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त आरिफ, सुधीर के नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आये थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु गठित टीमो द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.04.2023 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्टी हसनपुर के जंगल में युवक की गोली मारकर हुई हत्या की घटना में वांछित 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.आरिफ पुत्र इरफान निवासी ग्राम न्यामू थाना चरथावल जनपद शामली।

2.सुधीर पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम मन्टी हसनपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1.एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभि0 आरिफ से बरामद)।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.है0का0 दिनेश थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.है0का0 संजीव कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.का0 मोहित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाईल, अवैध तमंचा व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 05.04.2024 को वादिया श्रीमती जूली पत्नी स्व0 कर्ण सिंह निवासी ग्राम केरटू थाना झिंझाना जनपद शामली के घर से रात्रि में दिनाँक 25.03.2024 को अज्ञात चोर द्वारा मोबाईल चोरी कर लेने व पूर्व में भी फोन चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 चोर को चोरी किये हुए मोबाईल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.इंसार पुत्र शाहदीन निवासी ग्राम केरटू थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया हुआ मोबाईल वीवो वाई-81

2.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राकेश गौतम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 सतेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नया गांव में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 06.03.2024 को श्री सुरेश पुत्र श्री बिरमा निवासी ग्राम नया गांव थाना झिंझाना जनपद शामली के भतीजे सुशील पुत्र सूरजमल के साथ दीपक व अंकुर पुत्रगण कृष्णपाल निवासीगण हडोली माजरा थाना भौरा कलां जनपद मुजफ्फरनगर व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर जानलेवा हमला करने व गाली गलौच करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नया गांव में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्त की तलाश हेतु टीमे लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.दीपक पुत्र कृष्णपाल निवासी हडोली माजरा थाना भौरा कलां जनपद मुजफ्फरनगर।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 84/2024 धारा 307/504 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 शान्तनु कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी कर 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद तथा मौके पर 100 लीटर लहन व भट्टी को नष्ट किया गया।</u>

आज दिनांक 05.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के निर्माण/ बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा अवैध रुप से चलाई जा रही शराब की भट्टी पर छापेमारी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए है। मौके पर मिले 100 लीटर लहन व शराब भट्टी को पुलिस पार्टी द्वारा नष्ट कराया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.दीपक पुत्र पीतम निवासी ग्राम बुच्चाखेड़ी थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध कच्ची शराब 50 लीटर।

2.कच्ची शराब बनाने के उपकरण (02 पतीली, 01 गैस सिलेण्डर, 01 गैस चुल्हा पाईप लगा हुआ, 01 ड्रम आदि)।

3.नष्ट कराई गई भट्टी व 100 लीटर लहन।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 250/2023 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम 272,273 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 285/2021 धारा 60,63,72 आबकारी अधिनियम व 272,273 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री अमरदीप थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 कुलवन्त सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 नितिन त्यागी थाना कैराना जनपद शामली।

4.है0का0 राजेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

5.का0 मानवेन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।

6.का0 शोभी नागर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त/टैंकर चालक गिरफ्तार।</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 03.04.2024 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली बस स्टैण्ड के पास टैंकर चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये सड़क किनारे बनी दुकान में टक्कर मार दी थी जिससे मौके पर मौजूद लोग गम्भीर रुप से घायल हो गये थे तथा 04 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त/टैंकर चालक को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1-श्रवण कुमार पुत्र रामशरण यादव निवासी ग्राम राजापुर कोहर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 प्रताप शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 05.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधलापुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.उपेन्द्र पुत्र नीमनाथ निवासी ग्राम कनियान थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 05.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 05 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शमीम पुत्र जमील निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 05 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री रूपकिशोर शर्मा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 विकास पूनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 05.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मेहर सिह पुत्र धनसिह कश्यप निवासी ग्राम खेडीकरमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.राहुल पुत्र राधेश्याम निवासी मौहल्ला पंसारियान ब्लाक रोड शामली, थाना कोतवाली जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI